न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 04/2023
3. उनवान : जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री मोहनदास, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम हरसोली, तहसील–किशनगढ जिला–जयपुर (राजस्थान)।

–प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती अर्चना देवी पत्नी श्री गोपालदास, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम हरसोली, तहसील–किशनगढ़ रेनवाल, जिला–जयपुर (राजस्थान)।
2. ग्राम पंचायत हरसोली, जरिए सरपंच, पता–अटल सेवा केन्द्र, ग्राम हरसोली, तहसील–किशनगढ़ रेनवाल, जिला–जयपुर (राजस्थान)।
3. गोपाल पुत्र श्री मोहनदास
4. जुगलदास पुत्र श्री मोहनदास
   निवासीगण ग्राम हरसोली, तहसील–किशनगढ़ रेनवाल, जिला–जयपुर (राजस्थान)।
5. सूरजमल शर्मा पुत्र श्री मोहनदास (दौराने निगरानी मृतक)
   5/1. प्रेम देवी पत्नी स्वर्गीय श्री सूरजमल शर्मा
   5/2. रीना शर्मा पुत्री स्वर्गीय श्री सूरजमल शर्मा
   5/3. निर्मल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री सूरजमल शर्मा
   5/4. मीना शर्मा पुत्री स्वर्गीय श्री सूरजमल शर्मा
   जाति–ब्राह्मण, निवासी–मकान नमबर–57, दुर्गा कॉलोनी, एन.बी. सी. के पास, अमानी शाह नाले के पास, खातीपुरा रोड़, जयपुर।

–अप्रार्थीगण/ गैरनिगरानीकर्ता

4. निर्णय दिनांक : 23-07-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री अजय सैनी निगरानीकार की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री देवेन्द्र शर्मा गैर निगरानीकार संख्या 1, 3 एवं 4 की ओर से।
   स) अधिवक्ता श्री महावीर कालवा गैर निगरानीकार संख्या 5/1 एवं 5/3 की ओर से।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम हरसोली, ग्राम पंचायत हरसोली, तहसील–किशनगढ़ रेनवाल, जिला–जयपुर (राजस्थान) में निगरानीकर्ता व विपक्षीगण संख्या–3 ता 5 की शामलाती पैतृक सम्पति व भूमि स्थित है,

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

जिसके सम्बन्ध में निगरानीकर्ता व विपक्षी संख्या–3 ता 5 के मध्य दिनांक 15/03/2017 को आपसी समझौता पत्र लिखा गया। समझौता पत्र दिनांक 15/03/2017 के अनुसार विपक्षी संख्या–3 के पास समझौता पत्र अनुसार सम्पत्ति व भूमि दी गयी थी। विपक्षी संख्या–1 अर्चना देवी जो विपक्षी संख्या–3 की पत्नी है, के नाम जारीशुदा पट्टा की भूमि उक्त समझौता पत्र में विपक्षी संख्या–3 को नहीं दी गयी है। उक्त भूमि पट्टा जारी करने के लिए नहीं थी। विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत हरसोली जरिए सरपंच द्वारा फर्जी तरीके से पट्टा जारी कर निगरानीकर्ता की भूमि को विपक्षी संख्या–1 के पट्टे में शामिल कर दिया, जिससे व्यथित होकर निगरानी प्रस्तुत की गई। अन्त में निवेदन किया गया है कि निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत हरसोली द्वारा जारी पट्टा संख्या–25, दिनांक 27/07/2017 को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र धारा 5, निगरानीधीन पट्टा सं0 25 की प्रति, ग्रा0 पं0 हरसोली की पत्रावली सं0 48, मा0 सिविल न्यायालय किशनगढ रेनवाल के मु0 नं0 12/22 में प्रस्तुत जवाब दावे की प्रति पेश की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकारान जारी किये गये। गैर निगरानीकार संख्या संख्या 1, 3 एवं 4 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। गैर निगरानीकार सं0 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। गैर निगरानीकार सं0 5/1 एवं 5/3 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर कालवा उपस्थित हुए। गैर निगरानीकार संख्या 5/2 एवं 5/4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

गैरनिगरानीकार संख्या 1, 3 एवं 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि कोई इकरारनामा विपक्षीगण 3 लगा0 5 के मध्य निष्पादित नहीं हुआ। विपक्षी संख्या 1 ने नियमानुसार भूमि का पट्टा प्राप्त किया। साथ ही रुपनारायण, स्वरुपनारायण, श्रवण, बिहारीदास, सालाराम, किशनदास गैर विपक्षी संख्या 3 द्वारा सहमति प्राप्त कर पट्टा जारी करवाया गया था। अतः निगरानी याचिका खारिज फरमायी जावे।

गैरनिगरानीकार संख्या 2 द्वारा अपने पत्रांक 184 दिनांक 24/08/2023 से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि निगरानी मीमो में अंकित तथ्य पारिवारिक समझौते से संबंधित है। उक्त पारिवारिक समझौते का रिकॉर्ड कार्यालय ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ग्रा0 पं0 द्वारा अप्रार्थी सं0 1 अर्चना देवी पत्नी गोपाल दास के नाम से मिसल सं0 48 के अनुसार दिनांक 27/7/2017 को कुल 248.28 वर्गगज का राजस्थान पं0 राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत पट्टा जारी होना पाया गया है। उक्त पट्टा सं0 25 मिसल के अनुसार दिनांक 27.07.2017 को जारी किया गया है तथा ऑर्डर शीट पर दिनांक 14.06.2018 दर्शायी गई है तथा ऑर्डर शीट पर द्वितीय बैठक दिनांक 22.06.2017 लिखी गई है तथा आगामी बैठक की दिनांक नहीं लिखी गई है। आपत्ति नोटिस में जारी होने की दिनांक व माह अंकित नहीं है, ना ही पंचायत की मोहर, ना ही सरपंच के हस्ताक्षर है, उक्त तथ्य सही है। नोटिस चस्पा करने की जगह व चस्पा स्थान के गवाह हस्ताक्षर नहीं है। ऑर्डर शीट अनुसार आपत्ति नोटिस चस्पा करने के बाद अगली बैठक 05.07.2017 को हुई। प्रार्थी ने दिनांक 18.01.2023 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पट्टे संबंधित मिसल व पट्टे की सूचना चाही, जिसके जवाब में ग्रा0 पं0 द्वारा दिनांक 20.01.2023 को पट्टा पत्रावली की प्रति उपलब्ध करवा दी तथा पट्टा प्रार्थी तृतीय पक्ष होने के कारण पट्टाधारी की अनुमति के बिना नहीं दी जा सकी। पट्टे

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

ो द्वितीय प्रति ग्रा0पं0 में उपलब्ध है। उक्त पट्टा मिसल संख्या 48 का पट्टा संख्या 25 ाजस्थान सरकार के पं0 दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण अभियान 2017 में जारी होना बताया गया है। लेकिन कार्यवाही रजिस्टर में अभियान में जारी पट्टों के अंतिम निर्णय दिनांक 27.07.2017 के प्रस्ताव संख्या 2 में पट्टे जारी करने के निर्णय में पट्टाधारी का नाम अंकित नहीं है। जवाबदाता ने अपने जवाब के समर्थन में पट्टा पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेश की है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया कि ग्राम हरसोली में निगरानीकर्ता व विपक्षीगण संख्या–3 ता 5 की शामलाती पैतृक सम्पत्ति व भूमि स्थित है, जिसके सम्बन्ध में निगरानीकर्ता व विपक्षी संख्या–3 ता 5 के मध्य आपस में दिनांक 15/03/2017 को आपसी समझौता पत्र लिखा गया। शर्त अनुसार श्री रघुनाथ जी के मन्दिर के सामने वाली हरवोली केवल जगदीशप्रसाद शर्मा पुत्र मोहनदास, जाति–ब्राह्मण, निवासी हरसोली, जिला–जयपुर (राजस्थान) के रहेगी। उक्त रघुनाथ जी के मन्दिर के सामने वाली हवेली के पीछे का बाडा पश्चिम की तरफ से जगदीशप्रसाद व पूर्व की तरफ से सुरजमल की रहेगी। जिसमें जगदीशप्रसाद का पश्चिम की तरफ हिस्सा 60 प्रतिशत रहेगा तथा पूर्व की तरफ का हिस्सा 40 प्रतिशत सुरजमल का रहेगा। बारानी जमीन बोडी वाली केवल जगदीश के रहेगी जिसके खसरा नम्बर–533 बारानी 4 बीघा 07 बिस्वा है, जो जगदीश प्रसाद के रहेगी। प्रार्थी व विपक्षीगण संख्या–3 ता 5 के मध्य समझौता पत्र दिनांक 15/03/2017 को लिखा गया, उस समय तक विपक्षी संख्या–3 की पत्नी विपक्षी संख्या–01 के नाम का विक्रय विलेख (पट्टा) ग्राम पंचायत हरसोली द्वारा जारी नहीं किया गया था। विपक्षी संख्या–1 अर्चना देवी के नाम जारीशुदा पट्टा की भूमि उक्त समझौता पत्र में विपक्षी संख्या–3 को नहीं दी गयी है। सरपंच ग्राम पंचायत हरसोली ने भूमि विक्रय के नियमों की पूर्ण अवहेलना करते हुए निगरानीकर्ता के बंटवारे में आयी भूमि का पट्टा दिनांक 27/07/2017 को जारी कर दिया जो ग्राम पंचायती राज नियमों 145 से 157 की पूर्ण अवहेलना करके जारी किया गया है। मिसल संख्या–48 दिनांक 14/06/2018 को बनायी गयी है, जबकि पट्टा संख्या–25 दिनांक 27/07/2017 को जारी किया गया है, जब पत्रावली दिनांक 14/06/2018 को बनायी जाकर दर्ज की गयी है तो पट्टा दिनांक 27/07/2017 को कैसे जारी हो सकता है। आज्ञाओं की सूची के अनुसार 1 क्रम पर तारीख 14–6–2018 अंकित कर आदेशिका लिखी गयी है तथा क्रम 2 पर 22–6–2017 की आदेशिका लिखी गयी है तथा 22–6–2017 की आदेशिका में आगे की काई तारीख नियत नहीं की गयी है। आज्ञाओं की सूची के अनुसार 1 क्रम पर तारीख 14–6–2018 अंकित कर आदेशिका लिखी गयी है तथा क्रम 2 पर 22–6–2017 की आदेशिका लिखी गयी है तथा 22–6–2017 की आदेशिका में आगे की काई तारीख नियत नहीं की गयी है, उसके पश्चात् पत्रावली Suomoto दिनांक 29–6–2017 को कोरम के सामने प्रस्तुत हो जाती है। आपत्ति नोटिस पत्रावली में उपलब्ध है, जिस पर ना तो कोई दिनांक व माह अंकित है और ना ही जारी होने की कोई दिनांक व माह अंकित है और ना ही पंचायत की मोहर है और ना ही सरपंच के कोई हस्ताक्षर है। इस नोटिस को कहां चस्पा किया जिस जगह चस्पा किया, किसके सामने चस्पा किया, ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं है। आदेशिका दिनांक 05–7–2017 के तथ्यों अनुसार किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, इस आदेशिका अनुसार 30–6–2017 को आपत्ति नोटिस जारी

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

करना बताया है, जबकि सात दिवस 7–7–2017 को पूरे होते है, जबकि पत्रावली 6–7–2017 को ही कोरम के सामने प्रस्तुत की गयी है और निर्णय पारित कर दिया। इस प्रकार सम्मत कार्यवाही कानून का उल्लंघन कर अवैधानिक रूप से की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत हरसोली द्वारा जारी किया गया पट्टा पूर्णतयाः क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर फर्जी व विक्रय विलेख नियमों की पूर्ण अवहेलना कर जारी किया गया है। पट्टा पूर्णतयाः गैर कानूनी होने से वॉयड एबिनिश्यो नल एण्ड वॉयड होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने स्थायी व अस्थायी निषेधाज्ञा का दावा व प्रार्थना पत्र दिनांक 29/03/2022 को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ रेनवाल, जिला–जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसका जवाब विपक्षी संख्या–3 द्वारा दिनांक 06/09/2022 को किया गया, जिसमें प्रथम बार ग्राम पंचायत द्वारा 248.48 वर्गगज का पट्टा जारी करने का (अंकित) तथ्य अंकित किया गया, जिस पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत की पत्रावली की नकल लेने की कार्यवाही की गयी। पत्रावली की नकल के साथ पट्टा संख्या–25, दिनांक 27/07/2017 की नकल नही दी गयी। पट्टा संख्या–25, दिनांक 27/07/2017 की प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है तथा ग्राम पंचायत में पट्टा संख्या–25 उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा पट्टा की फोटो प्रति न्यायालय में पेश की जा रही है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत हरसोली द्वारा जारी पट्टा संख्या–25, दिनांक 27/07/2017 को निरस्त फरमाया जावे।

गैर निगरानीकार सं0 1, 3 एवं 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि विपक्षीगण 3 लगा0 5 के मध्य कोई समझौता पत्र अथवा इकरारनामा निष्पादित नहीं हुआ। विपक्षी संख्या 1 ने नियमानुसार भूमि का पट्टा प्राप्त किया। ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत तरीके से विधिक प्रावधानों की पालना कर निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। रुपनारायण, स्वरुपनारायण, श्रवण, बिहारीदास, सालाराम, किशनदास, गैर विपक्षी संख्या 3 द्वारा सहमति प्राप्त कर पट्टा जारी करवाया गया था। उक्त पट्टे की जानकारी निगरानीकर्ता को प्रारम्भ से थी। बावजूद इसके निगरानीकर्ता द्वारा लम्बे समय बाद बिना किसी ठोस कारण के मियाद बाहर निगरानी पेश की गई है। अतः निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

रेस्पो0 सं0 2 की ओर से पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि पारिवारिक समझौते का रिकॅार्ड कार्यालय ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ग्रा0 पं0 द्वारा अप्रार्थी सं0 1 अर्चना देवी के नाम से मिसल सं0 48 के अनुसार दिनांक 27/7/2017 को कुल 248.28 वर्गगज का पट्टा जारी हुआ। उक्त पट्टा सं0 25 मिसल के अनुसार दिनांक 27.07.2017 को जारी किया गया है तथा ऑर्डर शीट पर दिनांक 14.06.2018 दर्शायी गई है तथा ऑर्डर शीट पर द्वितीय बैठक दिनांक 22.06.2017 लिखी गई है तथा आगामी बैठक की दिनांक नहीं लिखी गई है। आपत्ति नोटिस में जारी होने की दिनांक व माह अंकित नहीं है, ना ही पंचायत की मोहर, ना ही सरपंच के हस्ताक्षर है। नोटिस चस्पा करने की जगह व चस्पा स्थान के गवाह हस्ताक्षर नहीं है। उक्त पट्टा संख्या 25 राजस्थान सरकार के पं0 दीनदयान उपाध्याय पट्टा वितरण अभियान 2017 में जारी होना बताया गया है। लेकिन कार्यवाही रजिस्टर में अभियान में जारी पट्टों के अंतिम निर्णय दिनांक 27.07.2017 के प्रस्ताव संख्या 2 में पट्टे जारी करने के निर्णय में पट्टाधारी का नाम अंकित नहीं है।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता सं0 5/1 एवं 5/3 ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीधीन पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा मिसल सं0 48 अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत पट्टा जारी किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट सारीहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। ग्राम पंचायत हरसोली द्वारा निगरानीधीन पट्टा संख्या 25 बहक अर्चना देवी पत्नी गोपाल दास 248.28 वर्गगज जारी किया गया। निगरानीकार का मुख्य कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है। मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर होता है कि पट्टा संख्या 25 दिनांक 27/07/2017 को जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आज्ञाओं की सूची में दायर दिनांक 14/06/2018 अंकित है जबकि आगामी दिनांक नहीं दी गई। ऑर्डर शीट पर आगामी दिनाक 14.06.2017 लिखी गई, जिसे काट कर 22.06.2017 किया गया तथा आगामी बैठक की दिनांक नहीं लिखी गई है। आदेशिका में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्ति नोटिस जारी करने का अंकन है किन्तु आपत्ति नोटिस में सरपंच/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, ना ही नोटिस जारी करने की दिनांक अंकित है। आपत्ति नोटिस जारी होने के 07 दिवस उपरान्त पत्रावली कोरम में प्रस्तुत होनी चाहिए थी किन्तु निर्धारित अवधि से पूर्व ही पत्रावली कोरम के समक्ष पेश हुई, जो नियम 148 के विपरीत है। वार्ड पंच के रिकार्ड में भूमि पर कब्जा 30 वर्ष से होना अंकित है जबकि बैठक कार्यवाही विवरण में उक्त भूमि पर 50 वर्ष पुराना कब्जा माना गया है। कार्यवाही विवरण में प्रार्थीया के भाईयों की तरफ से अनापत्ति बताई गयी है जबकि पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। ग्राम पंचायत के जवाब में पारिवारिक समझौते का रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध होना नहीं बताया है जबकि मूल रिकार्ड में समझौता पत्र की फोटो प्रति संलग्न है। ऐसी स्थिति में पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम के प्रावधानों की विधिवत पालना नहीं की गई। आदेशिका तथा फैसला प्रस्ताव में भी दिनांक में कांट-छांट की गयी है। अतः ग्राम पंचायत हरसोली द्वारा जारी पट्टा संख्या 25 पंचायती राज नियम 145 से 148 में विनिर्दिष्ट नियमों की अवहेलना एवं विधि विरुद्ध जारी किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है तथा खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर मिसल संख्या 48 की अनुपालना में ग्राम पंचायत हरसोली द्वारा जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 27/07/2017 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर